

कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: परिपत्र ::

कोविड-19 की गाइडलाइन अनुरूप वर्तमान सत्र: 2020-21 में राज्य के सभी राजकीय एवं गैरराजकीय विद्यालयों का नियमित कक्षा संचालन, वर्तमान तक नहीं हो सका है। अध्ययन की निरन्तरता के लिये विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक, रसायन अध्ययन सामग्री, ई-कक्षा डिजिटल सामग्री, कार्यपुस्तिकाएं उपलब्ध करवाई जा रही है तथा इस अध्ययन में उत्पन्न जिज्ञासाओं के समाधान के लिए कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को अभिभावकों की सहमति से विद्यालय में दिनांक : 21.09.2020 से आने की अनुमति हेतु निर्देश दिनांक: 18.09.2020 जारी किए गए थे। उक्त निर्देश दिनांक 18.09.2020 के अनुक्रम में अध्ययन की निरन्तरता, प्रायोगिक कार्य तथा कक्षोन्नति एवं परीक्षा/आकलन हेतु केवल सत्र 2020-21 हेतु अग्रांकित प्रावधान किए जा रहे हैं :—

1 कक्षा : 09 से 12 हेतु :-

- जिज्ञासा समाधान एवं मार्गदर्शन के लिए अभिभावकों की सहमति से विद्यालय आने वाले कक्षा : 09 से 12 के विद्यार्थियों को जिज्ञासा समाधान के अतिरिक्त विद्यालय आने के दौरान सप्ताह भर के लिए गृहकार्य भी दिया जाएगा।
- प्रदत्त गृहकार्य हेतु विद्यार्थी अपनी विषयवार नोटबुक संधारित करेगा, जिसे साप्ताहिक रूप से जांचा जाएगा।
- विषयाध्यापक विद्यार्थी की जिज्ञासा समाधान के अतिरिक्त, गृहकार्य देने तथा जांचकार्य भी आवश्यक रूप से करेंगे।
- सत्र 2020-21 हेतु बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम का संक्षिप्तिकरण किया गया है, जो कि बोर्ड एवं विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। वार्षिक/बोर्ड परीक्षा इसी संशोधित पाठ्यक्रम आधारित होगी।
- कक्षोन्नति का आधार वार्षिक/बोर्ड परीक्षा ही होगा।
- वार्षिक/बोर्ड परीक्षा हेतु 20 प्रतिशत अंक आन्तरिक मूल्यांकन के एवं 80 प्रतिशत अंक लिखित परीक्षा के निर्धारित हैं। (प्रायोगिक विषयों के अतिरिक्त)
- वार्षिक/बोर्ड परीक्षा में निर्धारित 20 प्रतिशत आंतरिक मूल्यांकन के अंक का आधार विद्यार्थी द्वारा संधारित गृहकार्य पुस्तिका होगी, जो परीक्षा से पूर्व विद्यालय में जमा कराई जाएगी।
- कक्षा 11 एवं 12 के प्रायोगिक विषयों में यह गृहकार्य आधारित आन्तरिक मूल्यांकन निर्धारित प्रायोगिक अंकों के अतिरिक्त, शेष अंकों का 20 प्रतिशत होगा। (जैसे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव, भूगोल में 14 चित्रकला, संगीत में 6 अंक)

10

प्रायोगिक विषयों हेतु प्रावधान

- कक्षा— 11 व 12 के जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान है उन विषयों के विद्यार्थी, जिज्ञासा समाधान हेतु विद्यालय आने के साथ प्रयोगशाला की क्षमता अनुरूप एक बार में एक प्रयोग का अभ्यास कर, प्रायोगिक कार्य की तैयारी करेंगे।
- संस्था प्रधान द्वारा मागदर्शन के लिये आने वाले कक्षा 11–12 के विद्यार्थियों के लिये ऐसी व्यवस्था की जावे, कि प्रत्येक प्रायोगिक विषय के विद्यार्थी को कम से कम सप्ताह में एक बार प्रयोगशाला में प्रायोगिक कार्य का अवसर प्राप्त हो सके।
- संस्था प्रधान द्वारा प्रयोगिक कार्य हेतु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रयोगशाला में किसी भी एक समय से प्रयोगशाला की क्षमता से आधे से कम विद्यार्थी ही उपस्थित रहें, एवं कोविड-19 की गाइड लाइन की पालना हो।
- विद्यार्थी को प्रायोगिक कार्य हेतु दो घंटे का समय उपलब्ध करवाया जाकर, विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम में से दस प्रायोगिक कार्य करवाए जाएं।
- विद्यार्थियों द्वारा किए गए प्रायोगिक कार्य की एक प्रायोगिक पुस्तिका का संधारण करवाया जाएगा।
- विषयावार चयनित 10 प्रायोगिक कार्य, अन्तिम प्रायोगिक परीक्षा का आधार होंगे। विद्यालय उक्त 10 प्रायोगिक कार्य को चिन्हित कर तैयारी कराएंगे।
- इस कक्षा स्तर के लिये प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन मुख्य परीक्षोपरान्त आयोजित होना प्रस्तावित है।
- प्रायोगिक परीक्षा बोर्ड/विभाग द्वारा विषय हेतु निर्धारित अंक की होगी।
- अंतिम प्रायोगिक परीक्षा में से 50 प्रतिशत अंक (जैसे रसायन में 30 में से 15 अंक) विद्यार्थी द्वारा संधारित प्रायोगिक अभ्यास पुस्तिका के आधार होंगे।
- शेष 50 प्रतिशत अंक(जैसे रसायन में 30 में से 15 अंक) अन्तिम प्रायोगिक परीक्षा के अनुरूप होंगे।
- गैर सरकारी विद्यालयों में भी कक्षा 9 से 12 हेतु गृहकार्य, प्रायोगिक अभ्यास कार्य, परीक्षा योजना तथा ऐपर पैटर्न राजकीय विद्यालयों के अनुसार ही होगा।

प्रश्न पत्र पैटर्न

- सत्र : 2020–21 हेतु प्रश्न–पत्र में बहु वैकल्पिक प्रश्नों को भी सम्मिलित किया जाएगा।
- अन्य अतिलघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक एवं निबन्धात्मक प्रश्नों में आन्तरिक चयन (यथा— या, अथवा, कोई दो.....) का विकल्प उपलब्ध करवाया जाएगा।
- इसी प्रकार निबन्धात्मक प्रश्नों की संख्या कम की जानी है।

961

- भाषा आधारित विषयों के प्रश्न—पत्रों में पठित व अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न भी सम्मिलित किए जाएंगे, जिसमें पर्याप्त विकल्प भी उपलब्ध होंगे।
- विद्यार्थियों की परीक्षा तैयारी हेतु परीक्षा योजना/पैटर्न अनुरूप नमूने के प्रश्न—पत्र (मॉडल प्रश्न—पत्र) 15 जनवरी, 2021 के उपरान्त उपलब्ध करवाए जाएंगे।

2 कक्षा : 06 से 08 हेतु :-

- सत्र : 2020–21 हेतु कक्षा : 06 से 08 तक के विद्यार्थियों को “आओ घर में सीखें” कार्यक्रम अन्तर्गत स्माइल-2, ई—कक्षा आदि के माध्यम से निरन्तर अध्ययन करवाया जा रहा है।
- इन विद्यार्थियों के लिए फरवरी—2021 में गतिविधि आधारित कार्य—पुस्तिकाएं उपलब्ध करवाई जाएगी।
- सम्बन्धित शिक्षकगण इन उपलब्ध कराई गई पूरी कार्य—पुस्तिकाओं को विद्यार्थियों द्वारा पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करेंगे। वार्षिक—परीक्षा, संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार ली जाएगी।
- यह कार्य—पुस्तिकाएं, स्माइल—2 के तहत दिए गए गृहकार्य से तैयार पोर्टफोलियो, अन्तिम/वार्षिक परीक्षा का भाग होंगे।
- सत्र 2020–21 हेतु आर.एस.सी.ई.आर.टी द्वारा पाठ्यक्रम का संक्षेपित्तरण किया गया है, जो कि आर.एस.सी.ई.आर.टी एवं विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- कक्षोन्नति का आधार अन्तिम/वार्षिक परीक्षा ही होगा। अंतिम/वार्षिक—परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक, आन्तरिक मूल्यांकन (कार्यपुस्तिका, गृहकार्य एवं पोर्टफोलियो आधारित) के होगे।
- शेष 60 प्रतिशत में से 10 प्रतिशत अंक, मौखिक परीक्षा एवं 50 प्रतिशत अंक लिखित परीक्षा के रहेंगे।
- आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों हेतु बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
- आठवीं बोर्ड परीक्षा में अंक विभाजन उपर्युक्तानुसार ही होगा।
- प्रश्न—पत्र पैटर्न में कक्षा 9 से 12 में उल्लेखित प्रावधानों अनुरूप परिवर्तन किया जाएगा।
- गैर सरकारी विद्यालयों में भी परीक्षा एवं पेपर पैटर्न उक्तानुसार ही होगा।
- आन्तरिक मूल्यांकन के लिए गैरसरकारी विद्यालय निर्धारित संशोधित पाठ्यक्रम के अनुरूप गृहकार्य तैयार कर विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाएं। इस हेतु विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाने वाली “कार्यपुस्तिकाओं” का उपयोग भी किया जा सकता है।

66V

- ऑनलाइन शिक्षण नहीं लेने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी उक्त तैयार गृहकार्य उपलब्ध कराया जाना है। इस हेतु यथासंभव अभिभावकों को कम से कम विद्यालय बुलाया जावें एवं कोविड-19 गाइड लाइन की पालना की जावे।

3 कक्षा : 03 से 05 हेतु :-

- सत्र 2020-21 हेतु कक्षा : 03 से 05 तक के विद्यार्थियों को “आओ घर में सीखें” कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य-पुस्तिका के आधार पर, स्माइल-2 के तहत गृहकार्य आदि के माध्यम से निरन्तर अध्ययन करवाया जा रहा है।
- सत्र 2020-21 हेतु आर.एस.सी.ई.आर.टी द्वारा पाठ्यक्रम का संक्षिप्तिकरण किया गया है, जो कि आर.एस.सी.ई.आर.टी एवं विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- कक्षोन्नति का आधार अन्तिम/वार्षिक परीक्षा ही होगा। इन विद्यार्थियों को एटग्रेड कार्य-पुस्तिकाएं उपलब्ध करवाई जा चुकी है।
- विद्यार्थी को उपलब्ध कराई गई कार्य-पुस्तिकाओं (कक्षा स्तर एवं निम्न कक्षा स्तर) को पूर्ण करना है परन्तु परीक्षा नवीन संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार ही होगी।
- सम्बन्धित संस्थाप्रधान, प्रत्येक विद्यार्थी तक एटग्रेड कार्य पुस्तिका की पहुँच सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित शिक्षक, कार्य-पुस्तिकाओं को विद्यार्थियों द्वारा पूर्ण करवाना सुनिश्चित करेंगे।
- तैयार कार्य-पुस्तिकाओं एवं स्माइल-2 के तहत तैयार पोर्टफोलियो ही अंतिम परीक्षा/योगात्मक आकलन का आधार होंगे।
- कक्षोन्नति का आधार अन्तिम परीक्षा/योगात्मक आकलन होगा। जिसमें 50 प्रतिशत अंक आन्तरिक मूल्यांकन (कार्यपुस्तिका, गृहकार्य एवं पोर्टफोलियो आधारित) तथा 10 प्रतिशत अंक मौखिक परीक्षा एवं 40 प्रतिशत अंक लिखित परीक्षा हेतु होंगे।
- उक्तानुसार ही पांचवीं कक्षा के विद्यार्थियों हेतु बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
- गैर सरकारी विद्यालयों में भी परीक्षा एवं पेपर पैटर्न उक्तानुसार ही होगा।
- आन्तरिक मूल्यांकन के लिए गैरसरकारी विद्यालय निर्धारित संशोधित पाठ्यक्रम के अनुरूप गृहकार्य तैयार कर विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाएं। इस हेतु विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाने वाली “कार्यपुस्तिकाओं” का उपयोग भी किया जा सकता है।
- ऑनलाइन शिक्षण नहीं लेने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी उक्त तैयार गृहकार्य उपलब्ध कराया जाना है। इस हेतु यथासंभव अभिभावकों को कम से कम विद्यालय बुलाया जावें एवं कोविड-19 गाइड लाइन की पालना की जावे।

90%

- मौजूदा सत्र : 2020–21 हेतु कक्षा : 01 से 02 तक के विद्यार्थियों को “आओ घर में सीखें” कार्यक्रम अन्तर्गत स्माइल एवं कार्य–पुस्तिका के माध्यम से अध्ययन करवाया जा रहा है।
 - इन विद्यार्थियों के लिए गतिविधि आधारित कार्य–पुस्तिकाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
 - सम्बन्धित संस्थाप्रधान, प्रत्येक विद्यार्थी तक एटग्रेड कार्य–पुस्तिका की पहुँच सुनिश्चित करेंगे।
 - सम्बन्धित शिक्षकों एवं अभिभावकों की सहायता से विद्यार्थियों द्वारा इन कार्य–पुस्तिका को पूर्ण किया जा सकेगा।
 - विद्यार्थियों द्वारा अभिभावकों एवं शिक्षकों की सहायता से पूर्ण की गई कार्यपुस्तिकाओं के आधार पर ही कक्षोन्नति की जाएगी।
 - गैर सरकारी विद्यालयों में भी परीक्षा पैटर्न उक्तानुसार ही होगा।
 - आन्तरिक मूल्यांकन के लिए गैरसरकारी विद्यालय निर्धारित संशोधित पाठ्यक्रम के अनुरूप गृहकार्य तैयार कर विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाएंगे। इस हेतु विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाने वाली “कार्यपुस्तिकाओं” का उपयोग भी किया जा सकता है।
 - ऑनलाइन शिक्षण नहीं लेने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी उक्त तैयार गृहकार्य उपलब्ध कराया जाना है। इस हेतु यथासंभव अभिभावकों को कम से कम विद्यालय बुलाया जावें एवं कोविड-19 गाइड लाइन की पालना की जावे।

बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन दिनांक 15 मई, 2021 के उपरान्त तथा अन्य परीक्षाएं विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि में होनी प्रस्तावित है, जिसके सम्बन्ध में तत्समय निर्देश जारी किए जाएंगे। समस्त संस्थाप्रधान बोर्ड एवं आर.एस.सी.ई.आर.टी द्वारा संशोधित पाठ्यक्रम को सभी शिक्षकों/समस्त विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराएंगे। उक्त संशोधित पाठ्यक्रम बोर्ड/आर.एस.सी.ई.आर.टी एवं विभागीय वेबसाइट तथा शाला दर्पण उपलब्ध है जहां से डाउनलोड किया जा सकता है।

(सौरभ स्वामी)
आइएस
निदेशक
शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः— शिविरा / माध्य / मा-स / विविध-दिवस / 2018 दिनांक :- ०८.१२.२०

पतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवधक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- प्रातालाप :** निम्नांकित पांच सूचनाएँ एवं आवश्यक दस्तावेज़ दुरुपयोग के बारे में हैं।

 - विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
 - निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 - आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, वीकानेर।
6. शासन उप सचिव—प्रथम, शिक्षा (गुप—1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजगेर।
8. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संरथान, वीकानेर/अजगेर।
9. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
10. निदेशक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग (ई.टी.सैल), राजस्थान, अजगेर।
11. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
12. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) — माध्यमिक/प्रारम्भिक।
14. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
15. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, वीकानेर।
16. समस्त संस्था प्रधान, उमावि/मावि/उप्रावि/प्रावि/.....
17. वरिष्ठ संपादक "शिविर", प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा।
18. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
19. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
20. रक्षित पत्रावली।


निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
वीकानेर